रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 59] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 21, 1978/फाल्गुन 30, 1899
No. 59] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 21, 1978/PHALGUNA 30, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 16-ई. टी. सी.(पी. एन.)/78

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1978

विषय : इमारती लकड़ी का निर्यात

मिसिल सं. 6/19/76/ई. आई.—उपर्युक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना सं. 33-ई. टी. सी.(पी. एन.)/77 दिनांक 6 दिसम्बर, 1977 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर सरकार द्वारा आगे यह निश्चय किया गया है कि पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना में निर्दिष्ट इमारती लकड़ी के निर्यात के लिए नीति में निम्नलिखित अनुसार संशोधन किया जाए :—

(i) कंडिका 4 की पहली पंक्ति में प्रदर्शित "स्लीपर और" शब्द को हटा दिया गया है; और

(ii) अतिरिक्त कंडिका 16 को इस प्रकार पढ़ा जाए :

"कंडिका 1 से 15 में निर्दिष्ट परन्तुकों के होते हुए भी, इमारती लकड़ी के किसी भी प्रकार के स्लीपर के निर्यात की अनुमति रेलवे द्वारा स्वीकृत की गई सीमा और किस्मों के अतिरिक्त नहीं दी जाएगी । उसके पश्चात आवेदनपत्रों पर "पात्रता के आधार पर" विचार किया जाएगा ।"

का. वे. शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 16-ETC(PN)/78

New Delhi, the 21st March, 1978

Subject : Export of Timber.

F. No. 6/19/76/EI.—Attention is invited to Public Notice No. 33-ETC (PN)/77 dated the 6th December, 1977, on the above subject.

2. On review of the position it has further been decided by Government to amend the policy for export of Timber as contained in the aforesaid Public Notice, as under :—

(i) The word "Sleepers and" appearing in first line of paragraph 4 stands deleted; and

(ii) Additional paragraph 16 may be read as under :—

"Notwithstanding the provisions contained in paragraphs 1 to 15, export of sleepers of any species of timber shall not be allowed except to the extent and for the species which Railways agree to. Applications will be considered "on merits", thereafter."

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978